A-12018/01/2014-NTH (Estt.). Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs ******

Gallery No.12/2, Jamnagar House Shahjahan Road, New Delhi - 110 011 Dated, the 14th February, 2017

To

The Director General National Test House. Sector-V, C.P. Block, Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations - revision of pay scales -Amendment of Recruitment Rules for the post Administrative Officer (Grade. I and Grade II) in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9th August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith copy of the Revised Recruitment Rules -2016 for the posts of Administrative Officer (Grade I and Grade II) in National Test House, duly notified in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub Section(i) vide GSR No.4 dated 14.01.2017 for record and further necessary action. These Recruitment Rules are also available on the website egazette.nic.in under the name of this Ministry.

> Deputy Director (NTH) Tel No.23073612 E-mail: d.sonker@nic.in

Copy to:

1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,

2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi 3. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S.Heet, Under

Secretary (RR).]

4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).

5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)

6. Guard files.



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 2]

नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2017, शनिवार/पौष 18—पौष 24, 1938

No. 21

NEW DELHI, JANUARY 8— JANUARY 14, 2017, SATURDAY/PAUSA 18—PAUSA 24, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

> उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

> > नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा:का:नि: 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, [मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक] मर्ती नियम, 1989, को उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, में फाइन मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धित का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, फाइन मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, बर्गीकरण और बेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा बेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 01 GI/2017

Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) Note 2: In the case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.	Two years experience of repairing of process or precision instruments.
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
Not applicable	Two years	By direct recruitment.
		Note: Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made (1:1)		Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:- (1) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (2) Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member	Not applicable

[F.No. A-12018/9/2016-SA] RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 4.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेंड 1 एवं ग्रेंड 2) भर्ती नियम, 2015 के अधिक्रमण में, उन बातों, के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड- 1 और ग्रेड- 2) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला (प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2) भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे-मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति.—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और vU; रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
्र(1) प्रशासनिक	(2) 01* (2017)	(3)	(4)	(5)
	(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) अननुंसचिवीय	स्तर – 10 (रु0 56100— 177500/-)	चयन
	सकता है।)			

जान वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति – भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(6) लागू नहीं होता	(7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होता	(9) प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	(10) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा प्रतिनियुक्ति सहित द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । (11)

प्रोन्नति:

वेतन-मेट्रिक्स के स्तर – 7 (रु0 44900-142400/-) में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड- 2) के पद पर नियुक्ति के उपरांत मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो।

प्रोन्नति, प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों के क्षेत्र में दो अथवा चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के अध्यधीन होगी।

परंतु, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, के मामले पर इस शर्त पर विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं को प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट दी जाएगी।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों से संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन-मेट्रिक्स में संशोधित स्तर का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन-मेट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्ध-सरकारी या कानूनी निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय अथवा अनुसन्धान संस्थानों के अधीन अधिकारी

- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा
 - (ii) वेतन-मेट्रिक्स के स्तर—8 (रु0 47600-151100/-) में या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समरूप पद पर नियमित नियुक्ति के उपरांत श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की ही ; अथवा
 - (iii) वेतन-मेट्रिक्स के स्तर—7 (रु0 44900-142400/-) में या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समरूप पद पर नियमित नियुक्ति के उपरांत श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) निम्नलिखित आवश्यक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री;
 - (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों में तीन वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या उसके अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर नियुक्ति अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की समाप्ति तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन-मेट्रिक्स में संशोधित स्तर का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन-मेट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय इसमें जहां वेतन-मेट्रिक्स में एक से अधिक अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ही लेवल में विलय किया गया है और जहां तक फायदा केवल उस पद या पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन-मेट्रिक्स में वह स्तर विना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

प्रातस्थापन ग्रंड है। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला - सदस्य 3. निदेशक अथवा उप सचिव, उपभोक्ता मामने विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि करने के लिए) में निम्निलिखित सम्मिलित होंगे : 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला —अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला — सदस्य 3. वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'सी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अधिकारी	07* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समृह 'ख' राजपत्रित.	नेवल –7(रु. 44900-142400/-)	चयन

(6)	(7)	(8)	· (9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने कार्यालय
होता				अधीक्षक के छः पदों में से और आशुलिपिक
				ग्रेड–। के एक पद में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

-D-

(i) वेतन-मेट्रिक्स के स्तर – 6 (रु0 35400-112400/-) में कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के उपरांत मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(11)

(ii) वेतन-मेट्रिक्स के स्तर – 6 (रु0 35400-112400/-) में स्टेनोग्राफर ग्रेड – I के पद पर नियुक्ति के उपरांत मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो;

प्रोन्नति, प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों के क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के अध्यधीन होगी:

परंतु, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, के मामले पर इस शर्त पर विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति जो दो वर्षों के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं को प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट दी जाएगी।

टिप्पणी 1ः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों से संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तव जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पणी 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन-मेट्रिक्स में पुनरीक्षित स्तर का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी वेतन-मेट्रिक्स में प्रदान की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा
 - (ii) वेतन-मेट्रिक्स के लेवल 6 (रु0 35400-112400/-) में नियमित नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो;।
- (ख) निम्नलिखित आवश्यक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री;
 - (iii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी निकाय में प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पणी- 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनयिक्ति पर व्यक्तियों को प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी-2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या उसके अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी-3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु आवेदनों के प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी- 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, िकसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन-मेट्रिक्स में संशोधित स्तर का विस्तार िकया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन-मेट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय इसमें जहां वेतन-मेट्रिक्स में एक से अधिक अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ही लेवल में विलय िकया गया है और जहां तक फायदा केवल उस पद या पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन-मेट्रिक्स में वह लेवल विना िकसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)	ng kanangga	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचा	र करने के	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:		
1. निदेशक, ग्रेड- II, राष्ट्रीय परीक्षण शाला	– अध्यक्ष	
2. वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला	– सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला	– सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/01/2014-एन.टी.एच.] डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 10th January, 2017

G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Administrative Officer (Grade I and Grade II) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Administrative Officer (Grade I and Grade II) in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Test House, (Administrative Officer Grade I and Grade II) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in the pay matrix. The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc... The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

100 mm 10	Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	l. Administrative Officer (Grade. I)	01*(2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), Non- Ministerial	Level - 10 (Rs.56100- 177500/-)	Selection

T	Age-limit	Educational	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment, whether by
×1.	21.7	and other			direct recruitment or by promotion
1		qualifications	recruitment will apply in the case	any	or by deputation or absorption and
5		required for	of promotees		percentage of the vacancies to be
		direct recruits	Andrew Comments of the Comment of th		filled by various method
	(6)	**************************************	. (8)	(9)	- 1
	Not-	Not	Not applicable.	two years	By promotion failing which by
	applicable.	applicable.		for	deputation including short-term
				promotees.	contract.
				The state of	

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Promotion:

Administrative Officer (Grade II) in the level - 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department.

Promotion shall be subject to successful completion of training of two or four weeks in the field of

Administration, Establishment and Accounts matters:

Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee:

Provided further that those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion

of such training for promotion.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or semi-Government or statutory bodies or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institutions:-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100/-) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level - 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the essential qualification and experience as under

degree of a recognised University or institute; (i)

(ii) three years' experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder cadre who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years:

Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding

fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; Director General, National Test House : Member; Onsumer Affairs : Member	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : -	
Director General, National Test House : Chairman; Director, National Test House : Member;	

(1)	903890a 15.54	(2)	(3) General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial		(4) Level - 7 (Rs.44900-142400/-)
2. Administrativ Officer (Grade	II): *Su	07*(2017) bject to variation ndent on workload.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation six posts from Office Superintendent and one post from Stenographe Grade-I.

Promotion:

- (i) Office Superintendent in the level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre of department; and
- (ii) Stenographer Grade I in the in the level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department.

Promotion shall be subject to successful completion of training of two or four weeks in the field of Administration, Establishment and Accounts matters:

Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee

Provided further that those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

Officers under the Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400/- or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualification and experience as under:
 - (i) degree of a recognised University or institute;
 - (ii) two years' experience in accounts, administration, establishment work in a Government or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder cadre who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for

appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promot consisting of :-	cion) Consultation with Union Public Service Commission
1. Director Grade-II, National Test House : Chairman;	not nongrammi
2. Senior Most Scientist 'D', National Test House : Member;	
3. Administrative Officer, National Test House : Member.	

[F. No. A -12018/01/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 5.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी —2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 के अधिक्रमण में, उन वातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोग किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय परीक्षण शाला, में अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी —2 के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी –2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4: भर्ती की पद्धति आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :